संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2019 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. अहिरवार
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– विदिशा
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया है कि प्रसव केन्द्रों में (जैसे कि प्राथ.स्वा.केन्द्र गुलाबगंज) थर्मामीटर एवं बी.पी. उपकरण में कमी पायी गयी है। प्राथ.स्वा.केन्द्र महू में पानी की व्यवस्था नही है। सिविल अस्पताल गंजबसौदा में चिकित्सक नियमित रूप से उपस्थित नही रहते हैं। आज दिनांक तक इन समस्याओं का कोई सामाधान नही किया गया है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2020 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– विदिशा मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला विदिशा मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2017 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. ए.विशनाग
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– आगर मालवा
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आगर मालवा।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कन्द एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोयत ब्लॉक सुस्नेर) उपयोग होने वाले उपकरण एवं कन्जूमेबल (जैसे कि लेबर टेबल, ऑक्सीजन सिलेण्डर, डॉपलर, ऑटोक्लेव, परीक्षण टेबल, स्कीन/ पर्दे, ए.सी., बायोमेडिकल वेस्ट हेतु बैग, थर्मामीटर, बी.पी उपकरण, रेपिड टेस्ट किट) उपयोग करने योग्य नही है या उपलबध नही है।
- उक्त संस्था में प्रसव कक्ष का रखरखाव मापदंडों के अनुसार नही किया जा रहा है एवं स्टॉफ द्वारा मानक प्रकियाओं का पालन भी नही किया जा रहा है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2018 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– आगर मालवा मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2015 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. डी.एल. सिसौदिया,
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–अलीराजपुर
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश क्रमाक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. प्रसव केन्द्रों में औषधियों (जैसे– मैग्निशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन) में कमी पायी गयी है। कुछ संस्थाओं में जैसे कि प्रा.स्वा. केन्द्र, उमराली में ब्लीचिंग पाउडर पिछले एक साल से उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि डिसइन्फेक्शन के लिये महत्वपूर्ण है।
2. प्रसव केन्द्र में उपयोग होने वाले उपकरण उपलब्ध नही है या कार्य करने योग्य नही है जैसे सामु. स्वा. केन्द्र उदयगढ़ में प्रसव लेबर टेबल उपलब्ध न होने के कारण प्लेटफार्म पर कराया जा रहा है।
3. संस्थाओं की अधोसंरचना जर्जर स्थिति में होने के कारण मातृ स्वास्थ्य सेवाऐं बाधित हो रही है। जिला अस्पताल में पानी की उपलब्धता न होने के कारण नवीन मेटरनिटी विंग क्रियाशील नही हो पायी है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया बाधित हुई है और कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र. /4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2016 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला–अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि डॉ. डी.एल. सिसौदिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2013 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. बी.एस. सेत्या,
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–बड़वानी
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बडवानी।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. प्रसव केन्द्रों में औषधियों (जैसे– मैग्निशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन) में कमी पायी गयी है।सामु. स्वा.केन्द्र सिलावध में एक्सपायर दवाईयां पाई गयी हैं एवं ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध नहीं है, जो कि डिसइन्फेक्शन के लिये महत्वपूर्ण है।
2. प्रसव केन्द्र में उपयोग होने वाले उपकरण उपलब्ध नही है या कार्य करने योग्य नही है जैसे **प्राथ.स्वा. केन्द्र औझर** में लेबर टेबल एवं प्रसव हेतु उपकरणों की आवश्यकता है।
3. प्रसव केन्द्रों में (प्रा.स्वा.केन्द्र खेतिया एवं प्रा.स्वा.केन्द्र मोयदा) पदस्थ स्टॉफ नर्स मानक प्रक्रियाओं का पालन नही कर रहीं हैं। विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सिलवाध द्वारा पर्यवेक्षण में रूची नही ली जा रही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/2014 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला–बड़वानी मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि डॉ. डॉ. बी.एस. सेत्या,जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

4

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2011 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. आर.के. धुर्वे
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–बैतूल
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. सामु.स्वा.केन्द्र घोड़ाडोंगरी में प्रसव हेतु उपकरण उपलब्ध नही हैं। थर्मामीटर एवं बैटरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है। यह भी संज्ञान में आया है कि चिन्हित कारणों के अलावा भी प्रसव हेतु मरीजों को रेफर कर दिया जाता है।
2. सामु.स्वा.केन्द्र मुलताई में प्रसव कक्ष की व्यवस्था मापदंड अनुसार नही पायी गयी है। सामु.स्वा. केन्द्र साहपुर की अधोसंरचना जर्जर स्थिति में है।
3. जिला अस्पताल बेतूल सिक्योरेटी गार्ड की व्यवस्था नही है, जिससे वहां पदस्थ स्टॉफ अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मेटरनिटी वार्ड में भर्ती मरीज हेतु पलंग पर्याप्त मात्रा में नही है, जिससे मरीजों को जमीन पर लिटाना पड़ता है।
4. स्किल लैब ट्रेनिंग प्राप्त की हुयी स्टॉफ नर्स अन्य विभागों में पदस्थ कर गयीं हैं।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2012 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला–बैतूल मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि डॉ. **डॉ. आर.के. धुर्वे**,जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बैतूल मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2009 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. शिवराम कुशवाह
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– भिण्ड़
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि ऑक्सीजन सिलेण्डर, स्टेरेलाईजर, बायोमेडिकल वेस्ट हेतु बैग) उपलबध नही है।
- प्रसव हेतु औषधी(जैसे कि मेग्नीशियम सल्फेट) संस्थानों में (जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आलमपुर) में उपलब्ध नही है। गर्भवती महिलाओं की गोपनीयता के लिये स्कीन/पर्दे की भी व्यवस्था नही है।
- सिविल अस्पताल लहार के प्रसव कक्ष में हेडवॉश स्टेशन की व्यवस्था नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2010 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– भिण्ड़ मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2007 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. अहिरवार,
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–भोपाल
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर।

विषयः–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमाक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. जिला अस्पताल भोपाल में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन मान प्रकियाअें के अनुसार नहीं किया जा रहा है। बायेमेडिकल वेस्ट हेतु प्लास्टिक बैग पर्याप्त मात्रा में नही है।
2. प्राथ. स्वा. केन्द फंदा में स्टॉफ नर्स द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में रूचि नहीं ली जा रही है।
3. उप स्वा.केन्द्र सोहाया में एक्सपायर दवाईयां पाई गयी हैं।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2008 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला—भोपाल मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि डॉ. **डॉ. अहिरवार,**,जिला स्वास्थ्य अधिकारी—1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

7

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2005 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. प्रतीक एन,
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–बुरहानपुर
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमाक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. प्राथ. स्वा. केन्द्र दोयकुड़िया, में स्टॉफ द्वारा सफाई के लिये ब्लीचिंग पाउडर उपयोग नही किया जा रहा है और न ही मानक प्रकियाओं का पालन किया जा रहा है।
2. प्राथ. स्वा. केन्द्र साहपुर एवं प्राथ. स्वा. केन्द्र दोयकुड़िया में ऑटोक्लेव उपलब्ध नही है।
3. सामु. स्वा. केन्द्र नेपानगर में रेडियन वार्मर उपलब्ध नही है।
4. प्राथ. स्वा. केन्द जुदावट में प्रसव कक्ष की हधोसंरचना की स्थिति जर्जर हो रही है एवं खिड़कियों के कांच टूटे हुये हैं जिससे गोपनीयता भंग हो रही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/17
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/2006 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला–बुरहानपुर मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि डॉ. **डॉ. प्रतीक एन**,जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2003 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ.शरद चौरसिया
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–छतरपुर
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। पत्र कमाक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. सामु.स्वा.केन्द्र बड़ा मलेहरा ड्रेनेज व्यवस्था पर्याप्त नही है। प्राथ.स्वा.केन्द्र अलीपुरा में प्रसव कक्ष का आकार छोटा होने से सेवाऐं प्रदान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
2. जिला अस्पताल छतरपुर में मेंटरनिटी वार्ड की अधोसंरचना मापदंडों के अनसुार नही है। प्रसव कक्ष का प्रभार किसी के पास नहीं था एवं वहां दाई द्वारा प्रसव कराते हुये देखा गया है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2004 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला–छतरपुर मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2001 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. डी.के. गुप्ता
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– दतिया
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानडेर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालोन) में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि स्कीन/ पर्दे, ए.सी, ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑटोक्लेव, परीक्षण टेबल) उपलबध नही है। औषधी जैसे कि मैग्निशियम सल्फेट, मिजोप्रोस्टोल, एंटीबायोटिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही रहते है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालोन के प्रसव कक्ष के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नही है।
- संस्थाओं में कन्जूमेबल (जैसे कि पेरेनियल पैडस्, रेपिड टेस्ट किट, म्यूकस एक्सटेक्टर, ग्लव्स) उपलब्ध नही है।
- कुछ प्रसव केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ मानक प्रकियाओं का पालन नही कर रहे है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2002 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– दतिया मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि डॉ. डी.एल. सिसौदिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दतिया मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1999 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. ए. के. वर्मा
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– देवास
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटपिपलिया) में उपयोग होने वाले उपकरण एवं कन्जूमेबल (जैसे कि परीक्षण टेबल, स्कीन/ पर्दे, ए.सी., बायोमेडिकल वेस्ट हेतु बैग, म्यूकस एक्सटेक्टर, पेरेनियल पैडस) उपलबध नही है।
- उक्त संस्था के प्रसव कक्ष की अधोसंरचना अच्छी स्थिति में नही है एवं संस्था में पदस्थ स्टाफ मानक प्रकियाओं का पालन नही कर रहे है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलि के प्रसव कक्ष की अधोसंरचना अच्छी स्थिति में नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/17
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 2000 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला – देवास मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला देवास मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला देवास मध्यप्रदेश।

8/7/19

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1997 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ.बी.एस. टैकाम
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–डिंडौरी
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डिंडौरी।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 176 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. सामु.स्वा.केन्द्र समनापुर में प्रसव हेतु औषधि एवं उपकरणों में कमी पायी गयी है। स्वा.केन्द्र की अधोसंरचना की स्थिति खराब है एवं बिजली की फिटिंग सही न होने कारण उपकरणों का उपयोग नही हो पाता है।
2. सामु.स्वा.केन्द्र साहपुरा में खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा पर्याप्त सुपरविजन नहीं किया जा रहा है। दवाईयों की प्राप्ति के लिये स्टॉफ को स्वयं के व्यय पर वाहन कर जिले से दवाईयां लानी पड़ती हैं। इसी कारण स्वास्थ्य केन्द्रों में (बमनी एवं ग्वारा कनाड़ी) औषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1998 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– डिंडौरी मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1995 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ.डी. के. शर्मा
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–गुना
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश क्रमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. प्रसव केन्द्रों (जैसे कि सामु.स्वा.कुमराज एवं उप.स्वा.केन्द्र उमरी) का रखरखाव एवं प्रबंध मापदंडों के अनुसार नही किया जा रहा है। स्टाफ द्वारा मातृ स्वास्थ्य हेतु रेकार्ड एवं रजिस्टर का संधारण नही किया जा रहा है।
2. प्रसव केन्द्रों में बिजली की फिटिंग सही न होने कारण उपकरणों (जैसे ऑटोक्लेव) का उपयोग नही हो पाता है। प्राथ.स्वा.केन्द्र बमोरी में पानी की व्यवस्था नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया बाधित हुई है और कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1996 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– गुना मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला गुना मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1993 भोपाल, दिनांक 8/7 /2019

प्रति,

डॉ. किशोर कुमार
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–हरदा
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवसार ब्लाक तिमारी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र राजाबरारी) में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि स्कीन/पर्दे, लेबर टेबल, ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑटोक्लेव/ स्टेरेलाइजर बायोमेडिकल वेस्ट हेतु बैग एवं कन्जूमेबल जैसे कि आई. वी सेट, पेरिनियल पैडस्, टेस्ट किट) संस्थाओं में उपलब्ध नही है।
- उक्त प्रसव केन्द्रों में औषधीयॉ जैसे कि मिजोप्रोस्टॉल, एंटीबायोटिक, वेक्सीन (जैसे कि विटामिन K उपलब्ध) नही है।
- संस्थाओं में (जैसे कि उप स्वास्थ्य केन्द्र राजाबरारी) प्रसव कक्ष के साथ हेंडवॉश स्टेशन उपलब्ध नही है।
- कुछ प्रसव केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ मानक प्रकियाओं का पालन नही कर रहे है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1994 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम: मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– हरदा मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला हरदा मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1991 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. डी.एस चौहान
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– होशंगाबाद
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूखतावा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संदिया) में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि ऑटोक्लेव, स्क्रीन/ पर्दे, ए.सी., एम्बू बैग,एवं कन्जूमेबल– ग्लव्ज़, टेस्ट किट) उपलबध नही है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संदिया में प्रसव कक्ष के साथ हेडवॉश स्टेशन में एल्बो टेप उपलब्ध नही है। सिविल अस्पताल पिपरिया में ब्लड स्टोरेज यूनिट की व्यवस्था नही है।
- संस्थाओं के प्रसव कक्षों का रखरखाव मापदंडों के अनुसार नही किया जा रहा है एवं जनरेटर की व्यवस्था नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1992 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1989 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ.एन.के. सैठिया
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–खण्डवा
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निधारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया है कि प्राथ.स्वा.केन्द्रों में प्रसव हेतु उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है। प्रसव केन्द्रों में पदस्थ स्टॉफ द्वारा रिकार्ड का संधारण नहीं किया जा रहा है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/17
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1990 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश।

8/7/19

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1987 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. बी.एस. कमुरे
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– खरगौन
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगौन।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि कोर्ड क्लैम्प, म्यूकस एक्सटेक्ट्र, प्रसव कक्ष हेतु ए.सी.) मरीज के परीक्षण हेतु ट्रार्च, इंचटेप, थर्मामीटर उपलबध नही है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोगांव में एण्टीबायोटिक (Ceftriaxone Ampicillin) उपलब्ध नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1988 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– खरगौन मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगौन मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खरगौन मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1985 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. एस.एन. उदयपुरिया
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– मुरैना
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश क्रमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नूराबाद एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागचीनी ब्लाक जौरा) में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि स्क्रीन/ पर्दे, ए.सी.,बायोमेडिकल वेस्ट हेतु बैग एवं बकैट, स्टेथोस्कोप, परीक्षण टेबल के लिए मेटरेस) उपलबध नही है।
- संस्थाओं में (जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नूराबाद एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागचीनी ब्लाक जौरा) प्रसव कक्ष के साथ शौचालय उपयोग करने योग्य नही है।
- कुछ प्रसव केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ मानक प्रक्रियाओं का पालन नही कर रहे है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया बाधित हुई है और कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1986 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– मुरैना मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुरैना मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मुरैना मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1983 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ.जे.पी. जोशी
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–नीमच
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश क्रमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी। समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

1. प्रसव केन्द्रों की अधोसंरचना जर्जर स्थिति में है (जैसे कि प्राथ. स्वा.केन्द्र लासुर एवं सामु.स्वा. जबड़)
2. औषधि एवं उपकरणों में कमी पायी गयी है एवं कुछ संस्थाओं में (जैसे कि प्राथ.स्वा.केन्द्र लासुर) बिजली की फिटिंग सही न होने कारण उपकरणों (जैसे ऑटोक्लेव) का उपयोग नही हो पाता है। नीमच जिलों की कई संस्थाओं में लेबर टेबल की आवश्यकता है साथ ही थर्मामीटर, बी.पी. उपकरण एवं स्टेथोंस्कोप की उपलब्धता में कमी पायी गयी है।
3. सामु.स्वा.केन्द्र मनासा में औषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। प्राथ.स्वा.केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्टॉफ की ड्यूटी उच्च संस्थाओं में लगा दी जाती है, जिससे मातृ स्वास्थ्य सेवाऐं प्रभावित होती हैं।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया बाधित हुई है और कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1984 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला – नीमच मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नीमच मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला नीमच मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1981 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. आर.एस त्रिपाठी
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– पन्ना
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि एक्जामिनेशन टेबल, weighing Scale,स्टेरेलाईजर/ऑटोकेलेव) उपलबध नही है।
- उप.स्वा.केन्द्र कृष्णानगर (पवई) में पानी की व्यवस्था नही है। संस्थानों में (जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहन्द्रा)हेडवॉश स्टेशन की भी व्यवस्था नही है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई के प्रसव कक्ष में ए.सी. की व्यवस्था नही है एवं अधोसंरचना की स्थिति खराब है।

उक्त बिन्दुओं पर आज दिंनाक तक सुधारात्मक कार्यवाही नही की गई है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1982 भोपाल, दिनांक 8/7 2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– पन्ना मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पन्ना मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला पन्ना मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1977 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. जी.आर.गौड
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– रतलाम
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश क्रमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ताल में प्रसव कक्ष में उपयोग होने वाले उपकरण एवं औषधी (जैसे कि स्क्रीन/ पर्दे, एग्जामिनेशन टेबल, ऑटोक्लेव, मैग्निषियम सल्फेट) उपलबध नही है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेलाना में डिलेवरी लोड के अनुसार उपकरण एवं औषधी की मात्रा पर्याप्त नही है।
- उक्त प्रसव केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ मानक प्रक्रियाओं का पालन नही कर रहे है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया बाधित हुई है और कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1978 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– रतलाम मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला रतलाम मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1975 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ.एम.एस. गरडे
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–सिवनी
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया है कि प्रसव केन्द्रों में (जैसे कि **सामु.स्वा.केन्द्र घनसौर**) पानी के साधन उपलब्ध न होने के कारण कई समस्या सामाने आ रही हैं। **सामु.स्वा.केन्द्र भिलई** में बिजली की समस्या है एवं प्रसव कक्ष की अधोसंरचना अच्छी स्थिति में नही है। **सामु.स्वा.केन्द्र क्योलारी** की अधोसंरचना जर्जर स्थिति में है एवं अस्पताल का शौचालय आम यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इन समस्याओं का सामाधान आज दिनांक तक नही किया गया है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/17
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1976 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– सिवनी मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिवनी मध्यप्रदेश।

8/7/19

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1973 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. प्रकाश पाण्डेय
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–शाजापुर
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में लाये गये है :–

1. सामु.स्वा.केन्द्र बैरछा एवं अकोड़िया में उपकरण (जैसे कि लेबर टेबल, ऑटोक्लेव, आक्सीजन सिलेण्डर) उपलब्ध नही है। प्रसव कक्ष में मरम्मत करवाने की आवश्यकता है।
2. प्रसव केन्द्रों में स्टॉफ द्वारा मानक प्रकियों का पालन नहीं किया जा रहा है एवं कुछ संस्थाओं में जैसे कि सामु.स्वा.केन्द्र बैरछा में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ–सफाई का ध्यान नही रखा जा रहा है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1974 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– शाजापुर मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश।

8/7/17

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1971 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. ओ.पी. वर्मा
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–श्योपुर
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्योपुर।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया है कि :–

1. जिला अस्पताल श्योपुर प्रसव कक्ष में ड्यूटी के समय एक ही स्टॉफ नर्स पदस्थ होने के कारण सेवाऐं प्रदान करने में कठिनाईयां आती है।
2. प्रसव केन्द्रों में जैसे कि सामु.स्वा.केन्द्र करहल एवं बड़ोदा में ड्रेनेज को लेकर समस्याऐं आती है एवं प्रसव कक्ष में जगह की कमी होने के कारण सेवाऐं प्रदायेगी बाधित हो रही हैं। प्राथ.स्वा. केन्द्र मकरावदा में बिजली एवं पानी का साधन नही है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/17
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1972 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– श्योपुर मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1969 भोपाल, दिनांक 8 /7 /2019

प्रति,

डॉ. कल्पना रानी
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला–सिंगरौली
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिंगरौली।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आया है कि प्रसव केन्द्रों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था नही है एवं अधोसंरचना की स्थिति भी अच्छी नही है, जिसके के कारण मातृ स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदाय करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1970 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला – सिंगरौली मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1967 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. पी.के माहौर
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– टीकमगढ़
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश कमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलदेवगढ एवं खरकपुर) में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि स्क्रीन/ पर्दे, बायोमेडिकल वेस्ट हेतु बैग, डॉपलर) उपलबध नही है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडागांव में प्रसव कक्ष की अधोसंरचना अच्छी स्थिति में नही है।
- कुछ प्रसव केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ मानक प्रकियाओं का पालन नही कर रहे है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यकम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यकम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यकम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिले में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1968 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।

8/7/19

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1965 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रति,

डॉ. ओ.पी. चौधरी
जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1
जिला– उमरिया
मध्यप्रदेश

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया।

विषय:–नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस।

———00———

अप्रैल 2019 में मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में समस्त जिलों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नर्सिंग मेंटर्स के साथ उपस्थित होने के लिए एन.एच.एम. द्वारा पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 01.04.2019 जारी किया गया था। आदेश क्रमांक 175 दिनांक 25.04.2019 द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 को नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है।

नर्सिंग मेंटर्स की समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों में लिये गये निर्णय और वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यो की रणनीति निर्धारित की जानी थी।

समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गये है:–

- प्रसव केन्द्रों में उपयोग होने वाले उपकरण (जैसे कि स्क्रीन/पर्दे, ऑटोक्लेव/स्टेरेलाईजर, डॉपलर, थर्मामीटर, अम्बुबैग) उपलबध नही है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली की अधोसंरचना अच्छी स्थिति में नही है। प्रसव केन्द्रो में पदस्थ स्टाफ मानक प्रकियाओं का पालन नही कर रहे है।

इससे परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनीटरिंग नही की जा रही है। आपके समीक्षा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय की प्रकिया बाधित हुई है और कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ है। आपके द्वारा समीक्षा बैठक में न आने के संदर्भ में कोई पत्राचार भी नही किया गया है।

यह कि आपको जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि आप मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों को सम्पूर्ण जिलें में तत्परता से संचालित कर जिलें में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायेगे/गी।

उक्त बैठक में अनुपस्थित होकर आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतः आप कारण बताए क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, आप अपना जवाब 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

8/7/19

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./एस.सी.एन./2019/ 1966 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला– उमरिया मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उमरिया मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 कारण बताओं नोटिस प्राप्त कराकर पावती तीन दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उमरिया मध्यप्रदेश।

8/7

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ
मध्यप्रदेश